<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)</u>
<u>पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या 88/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1. श्रीमति ममता भार्गव पत्नि श्री देवेन्द्र भार्गव जाति ब्राह्मण निवासी दांता ग्राम पंचायत केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद जिला बारां
2. ग्राम पंचायत केलवाड़ा जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, शाहाबाद जिला बारां (राज.) **(गैरनिगराकारान)**

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994</u>

उपस्थिति :–1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **(गैर निगराकार क्रम 1)**

<u>निर्णय दिनांक 04.08.2022</u>

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत केलवाड़ा ने दिनांक 21.03.2003 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 1835 साइज 40X60 कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टा मकानों का विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के अंतर्गत जारी करना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। मौके पर कोई पुराना मकान बना होना नहीं पाया है। ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध मनमाने तरीके से पट्टा जारी किया है और राजकोष को हानि पहुंचाई है। ग्राम पंचायत केलवाड़ा की ऑडिट निरीक्षक रिपोर्ट 2003–04 में उक्त बाबत आक्षेप गठित किया गया था जिसकी जांच विकास अधिकारी व लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां द्वारा की गई थी। इस जांच में भी गैर निगराकार को जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्ध पाया गया है और गैर निगराकार से मुताबिक डीएलसी दर 21800/– रूपये वसूली योग्य पाये गये हैं जो भी गैर निगराकार द्वारा जमा नहीं करवाये गये हैं। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 21.03.2003 को जारी पट्टा संख्या 1835 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 जर्ये अभिभाषक तथा अप्रार्थी क्रम 2 जर्ये प्रतिनिधि उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। तथा अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष उपस्थित अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को [illegible] विनियमितिकरण नियम 157 (ख) के अंतर्गत जारी करना दर्शाते हुए पट्टाधारी को खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाकर राजकोष को हानि पहुंचाई है। गैर निगराकार को अन्तर राशि जमा कराये जाने हेतु पर्याप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

समय दिये जाने के उपरान्त भी गैर निगराकार द्वारा अन्तर राशि जमा नहीं करवाई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 1835 दिनांक 21.03.2003 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 ने कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 2 द्वारा प्रस्ताव लेकर धन्नालाल पुत्र जोधालाल जाति बैरवा निवासी किशनगंज के नाम जिस जगह का पट्टा जारी किया गया था उसे गैर निगराकार क्रम 1 ने धन्नालाल से जर्ये इकरारनामा खरीदकर धन्नालाल के नाम जारी पट्टे को ग्राम पंचायत में समर्पित किया ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में पट्टा फीस 2200/– रूपये जमा करवाकर पुनः पट्टा जारी किया गया जिसके विरूद्ध निगरानी बेरून मियाद पेश की है। पट्टा किस जगह का जारी किया गया। इसके पश्चात गैर निगराकार क्रम 1 ने ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर अपने मकान का निर्माण करवाया। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को अन्तर राशि जमा कराने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया। ग्राम पंचायत को उक्त तथ्यों के आधार पर पंचायत समिति में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। नियमों में अपील का प्रावधान होने से हस्तगत निगरानी चलने योग्य नहीं है। प्रस्तुत निगरानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो गैर निगराकार क्रम 1 व उसका परिवार बेघर हो जायेगें। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिबीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11006/2012 बउनवान Nagar Mal Vs. Addl. District Collector, Sikar & Ors. में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2012 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 57/2020 बउनवान Khusal Singh Vs. State Of Rajasthan & Ors में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2020 की छायाप्रतियां पेश की। साथ ही अभिभाषक निगराकार ने पुनः पट्टा जारी करने के बाबत कथन किया कि पट्टा एक बार ही जारी होता है जिसका लीगल सेल डीड के जरिये बेचान होता है नया पट्टा जारी नहीं होता। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 1835 दिनांक 21.03.2003 निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है तथा निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना भी प्रस्तुत विधिक दृष्टांत से स्पष्ट है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पुनः पट्टा जारी किये जाने का कोई प्रावघान नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा विक्रयकर्ता धन्नालाल के पक्ष में जारी पट्टे को पुनः गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्ध जारी किया गया है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत केलवाड़ा द्वारा गैरनिगराकार क्रम–1 श्रीमति [illegible] भार्गव को जारी पट्टा क्रमांक 1835 दिनांक 21.03.2003 निरस्त किया जाता है। [illegible] को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.15 11:14:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां